


बिन्दु क्रमांक -1 अ-
हाथकरघा संचालनालय की विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

Directorate Of Handloom M.P.



बिन्दु क्रमांक -1.बी
कार्यालय के प्रत्येक कक्ष के कार्य एवं कर्तव्य


क्रमांक	कक्ष	कार्य संपादन
1-	स्थापना	पदों का निर्माण, नियुक्ति, पदोन्नति/कमोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, अवकाश स्वीकृति, सेवानिवृत्त, पेंशन, न्यायालयीन प्रकरण, वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिकाओं का संधारण, विभागीय (अधिकारी/ कर्मचारी) प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि।
2-	आहरण एवं संवितरण कक्ष	आहरण एवं संवितरण, जी.पी.एफ., यात्रा देयक, चिकित्सा देयक, आदि का कार्य।
3-	सामान्य कक्ष	कार्यालयीन आवश्यकताओं हेतु सामग्री का क्रय उपलब्ध स्कंध का संधारण आदि कार्य।
4-	रिकार्ड रूम कक्ष	कार्यालय के अप्रचलित/अनुपयोगी रिकार्ड का संधारण, लायब्रेरी का संधारण आदि।
5-	तकनीकी कक्ष	प्रशिक्षण केन्द्रों की गतिविधियों का नियंत्रण, शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना का क्रियान्वयन इत्यादि।
6-	समन्वय कक्ष	लोक सभा, विधान सभा संबंधी कार्यों का निर्वहन, विभागीय/अंतर्विभागीय बैठकों की जानकारियों का संकलन, अनुश्रवण इत्यादि।
7-	बुनकर एवं क्लस्टर कक्ष	केन्द्र क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित, राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मानिट्रिंग, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी इत्यादि।
8-	योजना कक्ष	पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना, जिला स्तरीय योजना भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण एवं समको का संग्रहण व संकलन इत्यादि।
9-	बजट/लेखा कक्ष	बजट आंवटन, अनुपुरक बजट प्रस्ताव, पुनर्विनियोजन, समपर्ण, नवीन व्यय प्रस्ताव, वार्षिक योजना अनुसार बजट सीमा वृद्धि इत्यादि।
10-	सांख्यिकीय कक्ष	वार्षिक, मासिक एवं पंचवर्षीय सांख्यिकीय समकों का संकलन एवं संधारण इत्यादि।

बिन्दु क्रमांक-2

कार्यालय में पदस्थ प्रत्येक अधिकारी का नाम, पद एवं आवंटित कार्य

क्र०	नाम	पद	मसिक वेतन (रूपयो में)	कर्तव्य
1-	श्रीमती दीपाली रस्तोगी	संचालक हाथकरघा एवं हस्तशिल्प	—	विभागाध्यक्ष के समस्त कार्य।
2-	श्री ए. के. भटनागर	संयुक्त संचालक	16500 /—	समस्त न्यायालयीन प्रकरण विधि शाखा, समन्वय शाखा बुनकर शाखा औद्योगिक शाखा।
3-	श्री एस.एस. सिकरवार	उप संचालक	145502 /—	स्थापना, तकनीकी एवं सामान्य शाखा
4-	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उप संचालक	13575 /—	बजट, औद्योगिक, लेखा, आडिट, शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना
6-	श्री रमाकांत गुप्ता	उप संचालक	10000 /—	रेकार्ड कक्ष एवं लाइब्रेरी।
7-	श्री सुधीर व्यास,	रिसर्च आफिसर	12600 /—	हाथकरघा / क्लस्टर योजनाएं, सी.डी.सी., बुनकर सांख्यिकीय, आहरण एवं संवितरण, योजना देयक।
8-	श्री संजय श्रीवास्तव	सहायक संचालक हाथकरघा	12600 /—	स्थापना शाखा एवं शासकीय वस्त्र प्रदाय
9-	श्रीमती आभा शुक्ला	सहायक संचालक हाथकरघा	10750 /—	समन्वय, आडिट एवं वसूली।
10-	श्री प्रदीप मिश्र	प्रभारी सहायक संचालक	8300 /—	औद्योगिक, विधि, सूचना का अधिकार एवं सामान्य शाखा

बिन्दु क्रमांक-3
यू/एस 4.1 (बी) (iii) अंतर्गत पदानुक्रम के आधार पर निर्णय व्यवस्था



बिन्दु क्रमांक 4

- अ- समय मापदण्ड यदि संगठन द्वारा निर्धारित है यू/एस 4.1 (बी) (iv)
ब- गुणवत्ता मापदण्ड यदि संगठन द्वारा निर्धारित है ।
स- मात्रा लक्ष्य वर्ष में कार्यालयीन कार्य संपादन हेतु ।

अधिकारी / कर्मचारी	सामान्य	अति आवश्यक
कार्य सहायक	3 दिन	3 घण्टे
कक्ष सहायक	5 दिन	5 घण्टे
सहायक संचालक / लेखाधिकारी / जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	7 दिन	16 घण्टे
उप संचालक / उप संचालक वित्त / रिसर्च आफीसर	7 दिन	16 घंटे
संयुक्त संचालक	8 दिन	12 घण्टे
आयुक्त / संचालक	7 दिन	12 घण्टे

बिन्दु क्रमांक 5

संचालनालय के संचालन से संबंधित नियम, अधिनियम, मेन्युअल, परिपत्र आदि की सूची यू/एस 4.1 (बी) (अ)

- 1- अधिनियम – ———निरंक—————
2- योजनाओं के नियम –

हाथकरघा क्षेत्र में संचालित योजनाएं

जिला स्तरीय योजनाएं

- 1- नाम हाथकरघा उद्योग विकास योजना
- 2- उद्देश्य हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं के बुनकरों/शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने हेतु तकनीकी, विपणन एवं कार्यशील पूँजी हेतु सहायता प्रदान करना ।
- 3- परिभाषा 1-बुनकर सहकारी समितियों से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है जो म0प्र0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत हैं ।
2-स्वसहायता समूहों से आशय ऐसे समूहों से है जो हाथकरघा /ग्रामोद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिये गठित समूह जिनके द्वारा जिनके द्वारा अपने सदस्यों से बचत राशि प्राप्त कर बैंक में जमा की जाती है । तथा वस्त्र उत्पादित गतिविधियां संचालित की जा रही हो ।
3-उद्यमी-व्यक्ति जो बुनकरों/शिल्पियों से वस्त्र उत्पादन कराता हो एवं उत्पादित माल का विपणन करता हो ।
4-व्यक्तिगत बुनकर- हाथकरघों पर उत्पादन कर स्वयं विक्रय की व्यवस्था करता हो ।
5-अशासकीय संस्थाएं जो किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था जो हाथकरघा से संबंधित बुनकरों/ शिल्पियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गतिविधियों में संलग्न हों ।
- 4- वित्तीय सहायता की मदें इन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित मदों में अनुक्रमांक 3 में वर्णित हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जाएगी :-
1-बुनियादी प्रशिक्षण
2-कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
3-उन्नत उपकरण, करघे, रंगाई उपकरण, प्रीलूम-पोस्टलूम फेसिलिटि
4-विपणन प्रोत्साहन
5-जागृति शिविर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आधारित कार्य
6-कार्यशील पूँजी
- 5- पात्रता, वित्तीय सीमा एवं सहायता का पेटर्न बुनकर सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाएं जो कार्यशील होकर अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, योजना अंतर्गत निम्न सहायता के लिये पात्र होंगी :-

1-बुनियादी प्रशिक्षण :

10 हितग्राहियों के समूह को 6 माह के प्रशिक्षण हेतु रु. 500/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति,
प्रशिक्षक का मानदेय रु. 5000/- प्रतिमाह,
कच्चा माल रु. 200/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह एवं
अन्य व्यय रु. 100/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही की दर से
कुल राशि 78,000/- की स्वीकृति अनुदान स्वरूप संस्था को दी जावेगी।
यह प्रशिक्षण बुनाई के लिये ही लागू होगा।

2-अ- कौशल उन्नयन प्रशिक्षण :

बुनाई प्रशिक्षण अवधि - 2 माह

अधिकतम प्रशिक्षार्थी - 10 हितग्राही प्रति सत्र (राशि रूपयों में)

क्र.	विवरण	राशि प्रति सत्र
अ	छात्रवृत्ति (रु. 100 प्रतिदिन दो माह के लिये)	60,000
ब	मास्टर ट्रेनर का मानदेय	12,000
स	प्रशिक्षण हेतु करघे एवं उपकरण 10 करघों के लिये	1,20,000
द	लूम सेटिंग चार्जस रु. 200 प्रतिकरघा	2,000
ई	कच्चा माल (कॉटन) प्रति प्रशिक्षार्थी रु. 2000/- प्रति सत्र	20,000
फ	डाक्यूमेंटेशन	5,000
	महायोग :-	2,19,000
	प्रशासकीय व्यय/विविध व्यय 5 प्रतिशत	10,850
	महायोग	2,29,850

नोट:- कॉटन, सिल्क, जूट एवं उनी वस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है तो अधिकतम राशि रु. 3,500/- प्रतिहितग्राही के माध्यम से कच्चा माल प्रशिक्षण में देय होगा।

ब- रंगाई प्रशिक्षण :

रंगाई प्रशिक्षण अवधि - 15 दिवस

अधिकतम प्रशिक्षार्थी - 10 हितग्राही प्रति सत्र (राशि रूपयों में)

क्र.	विवरण	राशि प्रति सत्र
अ	छात्रवृत्ति (रु. 100 प्रतिदिन 15 दिवस के लिये)	15,000/-
ब	मास्टर ट्रेनर का मानदेय	3,000/-
स	कच्चा माल रंग रसायन, टूलकिट आदि प्रति प्रशिक्षार्थी रु. 5000/-	50,000/-
द	डाक्यूमेंटेशन	5,000/-
	योग :-	73,000/-
	प्रशासकीय व्यय/विविध व्यय 5 प्रतिशत	3,650/-
	महायोग	76,650/-

नोट :- रंगाई की ट्रेनिंग हेतु मास्टर ट्रेनर रंगाई क्षेत्र में व्यवसायिक रूप से कार्यरत व्यक्ति को रखा जाए।

स- डिजाईन डेवलपमेंट :

प्रशिक्षण अवधि - 1 माह

अधिकतम प्रशिक्षार्थी - 10 हितग्राही प्रति सत्र

(राशि रूपयों में)

क्र.	विवरण	राशि प्रति सत्र
अ	छात्रवृत्ति (रु. 100 प्रतिदिन 1 माह के लिये)	30,000 / -
ब	मास्टर ट्रेनर का मानदेय	3,000 / -
स	टूलकिट, पेपर डिजाईन, ड्राईंग बोर्ड आदि प्रति प्रशिक्षार्थी रु.5000 / -	50,000 / -
द	डाक्यूमेंटेशन	5,000 / -
इ	योग :-	88,000 / -
	प्रशासकीय व्यय / विविध व्यय 5 प्रतिशत	4,400 / -
	महायोग	92,400 / -

डिजाईनिंग की ट्रेनिंग हेतु मास्टर ट्रेनर हाथकरघा क्षेत्र में व्यवसायिक रूप से कार्यरत व्यक्ति को रखा जाए, जो राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्र स्तरीय डिजाईन संस्थान से प्रशिक्षित हो ।

3-उन्नत उपकरण, करघे, रंगाई उपकरण, प्रीलूम-पोस्टलूम फेसिलिटि, हाथकरघा बुनकरों को उन्नत करघे, उपकरण, सहायक उपकरण रंगाई उपकरण, प्री-लूम, पोस्ट लूम के लिये निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी :- (राशि रूपयों में)

क्र.	विवरण	अधिकतम राशि
1	करघे (फ्रेमलूम, पिटलूम, तारालूम व अन्य उन्नत करघे) 36" से 120 " तक	12,000 / -
2	जेकार्ड (120 हुक से 600 हुक तक ब्रांडेड), डॉबी, अन्य सहायक उपकरण जैसे रीड, हील्ड, हार्नेस आदि	8,000 / -
3	रंगाई एवं प्रोसेसिंग उपकरण	5,000 / -

उपरोक्त अधिकतम राशि का 50 प्रतिशत आवेदक संस्था / हितग्राही / स्व-सहायता समूह से जमा करने पर सहायता देय होगी ।

4 विपणन प्रोत्साहन :

संस्था / समूह / अशासकीय संस्थाओं को मेले में भागीदारी या मेले के आयोजन हेतु निम्नानुसार सहायता प्रदान की जावेगी :-

(राशि रूपयों में)

क्र.	विवरण	अधिकतम राशि
अ	जिला / संभाग स्तर पर मेले का आयोजन	50,000 / -
ब	प्रदेश के महानगरों में मेले का आयोजन	1,00,000 / -
स	प्रदेश के बाहर महानगरों में मेले का आयोजन	1,50,000 / -
द	प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर मेले / प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु (माल परिवहन एवं 2 व्यक्तियों के आने जाने का वास्तविक स्लीपर क्लास किराया या बस किराया न्यूनतम, स्टॉलरेंट आदि)	30,000 / -
इ	निर्यात प्रदर्शनी हेतु (सैंपल, स्टॉलरेंट, आने-जाने हेतु एक आयोजन में) अधिकतम राशि रु. 2.00 लाख या वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत जो भी कम हो ।	2,00,000 / -

5- जागृति शिविर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आधारित कार्य (एक शिविर) के आयोजन हेतु अधिकतम राशि रू0 10,000/- की सहायता प्रदान की जावेगी ।

6 कार्यशील पूँजी :

आवेदक संस्था/समूह/उद्यमी/अशासकीय संस्था को सिल्क, कॉटन, पोलियेस्टर तथा अन्य वस्त्रों के उत्पादन हेतु नाबार्ड द्वारा प्रति करघा वित्त पोषण के लिये समय-समय पर निर्धारित प्रतिमान की एक तिहाई राशि कार्यशील पूँजी के रूप में स्वीकृत की जावेगी । शेष राशि की व्यवस्था बैंक/वित्तीय संस्थाओं से कराना होगी । शासन अंश की राशि संस्था/समूह/उद्यमी/अशासकीय संस्था को संबंधित वित्तीय संस्थान से साख-सीमा स्वीकृति संबंधी आदेश/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त की जावेगी ।

6 स्वीकृति के अधिकार

इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित सहायता स्वीकृत करने के अधिकार एवं उनकी सीमाएं निम्नानुसार हैं :-

क्र०	राशि	सक्षम अधिकारी	रिमार्क
1	10,000	सहायक संचालक/ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय की अनुशंसा पर
2	25,000	उप संचालक	---तदैव---
3	50,000से 3,00,000तक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय	---तदैव---
4	3,00,000से 5,00,000तक	आयुक्त/ हाथकरघा संचालक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर
5	5,00,000 या अधिक	राज्य शासन	---तदैव---

7-विविध

इन नियमों के संबंध में कोई भी विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा ।

औद्योगिक क्षेत्र में योजनाएं (जिला स्तरीय)

1-योजना का नाम

“कुटीर उद्योग विकास”

कुटीर उद्योग से तात्पर्य उन उद्योगों से है जिन्हें नाबार्ड द्वारा घोषित 22 ग्रुप में शामिल किया गया है जो परिशिष्ट अ पर संलग्न है ।

2-परियोजना का क्षेत्र

“सम्पूर्ण मध्यप्रदेश”

3-योजना का उद्देश्य

कुटीर उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु प्रशिक्षण/प्लांट एवं मशीनरी /कार्यशील पूंजी/ विपणन हेतु सहायता ।

4-परिभाषा:-

1-औद्योगिक सहकारी संस्था

औद्योगिक सहकारी संस्था से तात्पर्य उस संस्था से है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत हो ।

2-व्यक्तिगत हितग्राही

व्यक्तिगत हितग्राही से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नाबार्ड द्वारा घोषित 22 ग्रुप से किस एक कार्य को करता हो या प्रशिक्षण लेकर कार्य करना चाहता हो

3-स्व-सहायता समूह

स्व-सहायता समूह से तात्पर्य 5 या 10 विभिन्न परिवारों के उस समूहसे है जो नाबार्ड द्वारा घोषित 22 ग्रुप में से किसी एक कार्य को करता हो अर्थात समहित समूह हो ।

4-वित्तीय संस्थाएं

वित्तीय संस्थाएं से तात्पर्य राष्ट्रीयकृत/सहकारी क्षेत्र की बैंक या राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था से है ।

5- योजना के मद

(अ) प्रशिक्षण:-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 534 दिनांक 1.11.07 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति 2007 जारी की गई है। इस नीति का पालन करते हुए संबंधित जिले के उपसंचालक/सहायक संचालक / जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों /समूहों की सूची संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत /जनपद पंचायत को देंगे जो इन व्यक्तियों/समूहों की आवश्यकतानुसार उनके द्वारा अपनाये जाने वाले ट्रेड (व्यवसाय) का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट से करेंगे ।

(ब) प्लांट एवं मशीनरी :-

कुटीर उद्योग हेतु प्लांट एवं मशीनरी में अनुदान की सीमा सामान्य वर्ग हेतु 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 50 प्रतिशत रहेगी । शेष राशि संस्था/व्यक्तिगत हितग्राही /समूह द्वारा स्वयं के स्रोत से या बैंक से ऋण के रूप में लेना होगी । परियोजना की शेष राशि स्वयं के स्रोत से बैंक में जमा करने पर या बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करने की स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्थान का सहमति पत्र प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि स्वीकृत की जावेगी ।

(स)-कार्यशील पूंजी:-

क-औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को नाबार्ड द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार वित्त पोषण किया जावेगा ।

ख-व्यक्तिगत हितग्राही रु. 50,000/- प्रति व्यक्ति (कार्यशील पूंजी)

ग-5 व्यक्तियों के समूह हेतु राशि रु. 2.00 लाख प्रति समूह (कार्यशील पूंजी)

घ-10 व्यक्तियों के समूह हेतु राशि रु. 5.00 लाख प्रति समूह (कार्यशील पूंजी)
कूटीर उद्योगों में संलग्न उद्यमी/समूहों को कार्यशील पूंजी नाबार्ड के उपरोक्तानुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त करने हेतु नाबार्ड द्वारा निर्धारित कार्यशील पूंजी की राशि की एक तिहाई राशि अनुदान के रूप में बैंक में मार्जिन जमा कराने हेतु स्वीकृत की जावेगी। शेष राशि की व्यवस्था बैंक /वित्तीय संस्थाओं से कराना होगी। शासन की अनुदान राशि तभी स्वीकृत की जावेगी, जब उद्यमी/समूह द्वारा संबंधित वित्तीय संस्थान से साख-सीमा स्वीकृति संबंधी आदेश/प्रमाण-पत्र अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(द)-विपणन सहायता:-

जिले के उद्यमियों/स्व-सहायता समूहों/औद्योगिक सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित माल के विपणन हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर विक्रय, प्रदर्शनियाँ आयोजित करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को निम्नानुसार अनुदान सहायता दी जावेगी :-

क्र.	विवरण	अधिकतम राशि (राशि रूपयों में)
अ	जिला/संभाग स्तर पर मेले का आयोजन	50,000
ब	प्रदेश के महानगरों में मेले का आयोजन	1,00,000
स	प्रदेश के बाहर महानगरों में मेले का आयोजन	1,50,000
द	प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर मेले/प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु (माल परिवहन एवं 2 व्यक्तियों के आने जाने का वास्तविक स्लीपर क्लास किराया या बस किराया न्यूनतम, स्टॉल रेंट आदि)	30,000
इ	निर्यात प्रदर्शनी हेतु (सैंपल, स्टॉल रेंट, आने जाने हेतु एक आयोजन में) अधिकतम राशि रु. 2.00 लाख या वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत जो भी कम हो।	2,00,000

6-स्वीकृति की प्रक्रिया:-

समिति/स्व-सहायता समूह/व्यक्तिगत हितग्राही द्वारा सहायता का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट "ब" पर भरकर सहपत्रों सहित जिले के उप/सहायक संचालक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को देना होगा। ये अधिकारी प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर स्वीकृति हेतु जिले के कलेक्टर/मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा सहित प्रस्तुत करेंगे व कलेक्टर/मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी। जो प्रस्ताव राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक अनुदान राशि के हैं उन्हें कलेक्टर/मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ आयुक्त/संचालक हाथकरघा को भेजा जावेगा। राशि रूपये 0.25 लाख तक के प्रस्ताव संबंधित जिले के उप/सहायक संचालक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा अपने स्तर से स्वीकृति का निर्णय लेकर स्वीकृत किए जावेगें।

7-अनुदान सहायता स्वीकृति एवं
मॉनिटरिंग के अधिकार

इस योजनांतर्गत अनुदान सहायता स्वीकृति के अधिकार
निम्नानुसार रहेंगे:-

(राशि रूपयों में)

1-	उप/सहायक संचालक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	0.25 लाख
2-	कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	2.00 लाख
3-	जिला योजना समिति	5.00 लाख
4-	आयुक्त/संचालक हाथकरघा एवं हस्तशिल्प	5.00 लाख से अधिक

नोट:- जिला कलेक्टर शहरी क्षेत्र के लिये तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की स्वीकृति हेतु अधिकृत होंगे ।

जिला स्तर पर मॉनिटरिंग का कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा, जिसमें सहायता जिले में पदस्थ विभागीय अमले द्वारा की जावेगी ।

8-विविध :-

सहायता स्वीकृति में होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय आयुक्त /संचालक हाथकरघा एवं हस्तशिल्प द्वारा किया जावेगा जो सभी को बंधनकारी होगा ।

परिशिष्ट "अ"

कुटीर और लघु उद्योग के 22 वृहत समूहों में आने वाले उद्योग

1-	खाल उतारना
2-	चमड़े का सामन
3-	मिट्टी के बर्तन बनाना
4-	धान और अनाजों की हाथ कुटाई
5-	चवल मिल, आटा मिल बेकरी
6-	तेल पिराई
7-	ताड़ का गुड़
8-	गन्ने का गुड़ और खाण्डसारी
9-	फलों और सब्जियों की डिबा बन्दी
10-	कृषि और वन उत्पादों का निर्माण
12-	अन्य ग्रामीण उद्योग
13-	सामान्य अभियान्त्रिकी
14-	रसायनिक अभियांत्रिकी एवं रसानिक उद्योग
15-	निर्माण सामग्री
167	रेशम उद्योग
17-	रेशा
18-	कताई कार्य
19-	सूती एवं अन्य वस्त्रोद्योग
20-	छपाई जिल्दसाजी एवं मुद्रण
21-	आरा मिल, लकड़ी का काम एवं फर्नीचर तथा उपस्कर
22-	विविध उद्योग (खेल सामग्री निर्माण, बीडी, बटन, कार्ड बोर्ड कागज के अन्य उत्पादन, असली एवं बनावटी रत्न और पत्थरों की कटाई एवं पालिश)

**“कुटीर उद्योगों का विकास”
आवेदन प्रपत्र**

प्रति,

उप/सहायक संचालक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी,
जिला हाथकरघा/जिला पंचायत कार्यालय,
जिला.....।

विषय: कुटीर उद्योग स्थापना हेतु राशि स्वीकृत करने बाबत ।

1. आवेदित संस्था/समूह/व्यक्तिगत हितग्राही का नाम :
2. पूर्ण पता :
3. पंजीयन क्रमांक/दिनांक (यदि हो तो) :
4. सदस्यों की संख्या (वर्गवार)
5. समिति/समूह की अंशपूजी
(जो बैंक में जमा की गई है/बैंक का नाम व पता)
6. समिति/समूह/व्यक्तिगत हितग्राही का बैंक एकाउन्ट नम्बर :
7. क्या पूर्व में सहायता प्राप्त हुई है :
- सहायता प्राप्त करने का उद्देश्य
8. (मशीनों का विवरण एवं कीमत)
- (कोटेशन संलग्न करे)
9. समूह/संस्था का कार्यक्षेत्र :
10. आवेदित अनुदान राशि रूपये :
11. वित्तीय संस्थानो यथा बैंक/अन्य स्रोत /स्वयं के स्रोत
- से लगाई जाने वाली राशि
- (बैंक/वित्तीय संस्थान का सहमति पत्र)

संस्था/समूह/आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

उप/सहायक संचालक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की अनुशंसा

उक्त आवेदक को कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा राशि
रूपयेस्वीकृत (रूपये 0.25 लाख तक के प्रकरण में) /अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा
करता हूँ ।

हस्ताक्षर
सील/पदनाम

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(जिला स्तर से संचालित)

वेलफेयर योजना

1- बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना

बुनकर समुदाय को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है। योजना में बुनकर, उसकी पत्नि एवं दो बच्चों को भी शामिल किया गया है। बीमित बुनकर, पत्नि एवं दो बच्चों को पूर्व/विद्यमान बीमारियों का इलाज ओ. पी. डी. अथवा ICICI लोम्बार्ड के सूचीबद्ध नर्सिंग होम्स/अस्पतालों में अधिकतम राशि रु. 15,000/- तक प्रति परिवार इलाज के लिये ICICI लोम्बार्ड द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का प्रावधान है। इस योजना में भारत सरकार का अंशदान रूपये 800/- एवं बुनकर अंशदान रूपये 200/- है इस प्रकार वार्षिक प्रीमियम रूपये 1000/- निर्धारित है। बुनकरों के अंशदान में से रूपये 100/- राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा था। योजना अक्टूबर-2007 से पुनरीक्षित की गई है, जिसमें प्रीमियम की राशि इस प्रकार है :-

1- केन्द्र शासन का हिस्सा राशि रु.	642.47
2- राज्य शासन का हिस्सा राशि रु.	70.00
3- बुनकर का अंश राशि रु.	69.13
कूल प्रीमियम राशि रु.	781.60

यह योजना वर्ष 2008-09 से जिला स्तर की योजनाओं में स्थान्तरित करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यालय स्तर से संचालित

- 1— ग्रामोद्योग विकास सहायता
(11 वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2008—09 से प्रारंभ)
- 1—नाम ग्रामोद्योग विकास सहायता
- 2—योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण कारीगरों , हाथकरघा बुनकरों/शिल्पियों के समग्र विकास हेतु बैंक वित्त पोषण के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- 3—परिभाषाएं
- 1—ग्रामोद्योग/नाबार्ड द्वारा कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के अंतर्गत चिन्हित गतिविधियों से है।
 - 2—बुनकर समितियों—ऐसी संस्थाएं जो सहकारी सोसायटी अधिनियम—1960 के अंतर्गत पंजीकृत है।
 - 3—स्व—सहायता समूह—कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिये गठित समूह जिसमें कम से कम 10 सदस्य हो उनके द्वारा सदस्यों से बचत राशि प्राप्त कर बैंक में जमा कर उत्पादन गतिविधियाँ संचालित की जा रही हों।
 - 4—उद्यमी—ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग संचालित करता हो तथा उनके उत्पादन विपणन की गतिविधि संचालित करता हो।
 - 5—व्यक्तिगत बुनकर— हाथकरघों पर वस्त्र उत्पादन कर स्वयं विक्रय की व्यवस्था करता हो।
 - 6—अशासकीय संस्थाएं—किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होकर कुटीर व ग्रामीण उद्योग से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हितग्राहियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में संलग्न हो।
 - 7—राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी—प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें विभाग के समस्त घटक प्रमुख सदस्य है।
 - 8—वित्तीय संस्थाएं—राष्ट्रीयकृत सहकारी क्षेत्र की बैंक अथवा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान।
- 4—सहायता मर्दें
- 1—ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु नाबार्ड/वित्तीय संस्थान के प्रतिमानों के आधार पर आवश्यक कार्यशील पूँजी, मशीन एवं भवन के लिये ऋण स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्था के मापदण्ड अनुसार आवश्यक हितग्राही अंश/मार्जिन हेतु सहायता।
 - 2—विपणन प्रोत्साहन बाजार अध्ययन निर्यात मूलक गतिविधि में बैंक एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने हेतु आवश्यक हिस्सेदारी के लिये सहायता।
 - 3—अन्य मदे जो ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के विकास की दृष्टि से राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी आवश्यक समझे।
- 5—सहायता की सीमा यह सहायता परियोजना आधारित होगी सहायता की अधिकतम सीमा राज्य स्टेयरिंग कमेटी के विवेकाधीन होगी।
- 6—क्रियान्वयन एजेन्सी बुनकर सहकारी संस्थाएं, स्व—सहायता समूह, उद्यमी, इकाई, निगम/संघ एवं शासकीय विभाग जो कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के विकासात्मक गतिविधियों में संलग्न है।

7-स्वीकृति की प्रक्रिया

समिति/स्व-सहायता समूह/उद्यमी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तर पर संचालनालय के अधीनस्थ जिला कार्यालयों के पदस्थ सहायक संचालक या जिला पंचायतों में पदस्थ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेगे। जिन्हे परीक्षण उपरान्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा के साथ आयुक्त/संचालक हाथकरघा को भेजी जावेगी।

शासकीय विभाग/निगम/संघ अपने प्रस्ताव सीधे आयुक्त/संचालक हाथकरघा को भेज सकते है। संचालनालय द्वारा प्रस्ताव परीक्षण उपरान्त राज्य स्टेयरिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जावेगे।

स्वीकृति राज्य स्टेयरिंग कमेटी द्वारा प्रदान की जायेगी।

8-योजना क्रियान्वयन की मानिटरिंग

स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला हाथकरघा अधिकारी द्वारा सतत् अनुश्रवण किया जावेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन आयुक्त/संचालक हाथकरघा को प्रस्तुत करेंगे।

9-विविध

इन नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विवाद के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव ग्रामोद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

2- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम (राज्य स्तरीय)

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाने, वर्तमान क्लस्टर को सुदृढ़ करने, क्लस्टरों को वित्तीय समर्थन बढ़ाने, डायग्नोस्टिक स्टडी, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट डिजाइन, बाजार लिंकेजेस, सलाहकारों की सेवाएं लेने एवं कमियां को चिन्हित करने हेतु अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमियों/अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु वर्कशाप अध्ययन भ्रमण के आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क नाली पेयजल विद्युत प्रदाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

2.1.-बाजार अध्ययन :-

यह योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ की गयी है। बुनकरों को बाजार मांग के अनुरूप उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु उन्हें अध्ययन भ्रमण, वस्त्र विक्रय हेतु मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन करने के लिए राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा दिये गये अनुमोदन अनुरूप निगम, संघ एवं समितियों को सहायता स्वीकृत की जाती है। इस योजना का संचालन संचालनालय स्तर से किया जा रहा है।

2.2-अनुसंधान एवं विकास :-

यह योजना भी वर्ष 1998 -99 में प्रारंभ की गयी है। हाथकरघा क्षेत्र में नवीन अनुसंधान/विकास कार्य नमूनों का निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन अनुसार सहायता निगम, संघ एवं सहकारी समितियों, उद्यमियों एवं अशासकीय संस्थाओं सहायता स्वीकृत की जाती है।

2.3-व्यक्तिगत हाथकरघा बुनकरों हेतु सहायता :-

यह योजना वर्ष 2001-02 में प्रारंभ की गयी है। निजी क्षेत्र में कार्यरत ऐसे बुनकर जो किसी समिति के सदस्य नहीं है उन्हें कार्यशील पूंजी, वर्कशेड एवं करघें क्रय करने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। ऋण राशि वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत योजनान्तर्गत करघें एवं उपकरण क्रय हेतु रूपये 40,000/- तक अनुदान कार्यशील पूंजी हेतु रूपये 20,000/- तथा वर्कशेड निर्माण हेतु रूपये 7,000/- तक की सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

2.4— कबीर बुनकर पुस्कार योजना:-

उत्कृष्ट हाथकरघा वस्त्र उत्पादन करने वाले तीन बुनकरों को चयन समिति की निर्णय अनुरूप प्रथम पुरस्कार रूपये 1,00,000/- द्वितीय रूपये 50,000/- पुरस्कार एवं तृतीय पुरस्कार राशि रूपये 25,000/- तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का प्रावधान है ।

2.5 उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग :

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण , डिजाइन विकास, उत्पाद परिवर्तन/परिवर्धन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों तथा उद्योग के उत्थान के लिये सहायता प्रदान की जाती है ।

2.6 ग्रामोद्योग प्लस योजना

इस योजना के अन्तर्गत दस्तकारों एवं शिल्पियों को लगभग राशि रू. 6000/- प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए लघु वनोपज एवं अन्य उपज के उत्पाद के लिए बीज, खाद एवं टी-गार्ड आदि के लिये सहायता देने के लिए प्रावधान रखा गया है। ग्रामोद्योग विभाग की गतिविधियों में गत 3 वर्षों से संलग्न शिल्पी, दस्तकार, उद्यमियों, एन.जी.ओ एवं एस. एच जी इस योजना में सहायता हेतु पात्र होंगे । योजना के अन्तर्गत प्रति हितकारी की दर से राशि रूपये 3000/- अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है । जो मुख्यकार्यपालन अधिकारी के अनुमोदन उपरांत राज्य स्तर पर गठित कमेटी के अनुमोदन से आयुक्त हाथकरघा द्वारा स्वीकृत की जावेगी क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा हितग्राहियों के अंश की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाना आवश्यक होगा ।

2.7 सूचना प्रौद्योगिकी

हाथकरघा संचालनालय एवं अधिनस्थ जिला हाथकरघा कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंध कार्यो के लिये योजना से सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

3— स्पेशल प्रोजेक्ट

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रमुख कलस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये परियोजना आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, तथा संस्थानों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट आफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट आदि के सहयोग से परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु सहायता दी जाती है ।

4— प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

प्रदेश के ग्रामोद्योग उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यो के (हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग की परम्पराओं के) अभिलेखीकरण जिस पर डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टीसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित होती है । सहायता के अधिकतम सीमा तक राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कमेटी के विवेकाधीन होती है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं
वेलफेयर योजना
मुख्यालय स्तर से संचालित

1— महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

भारत सरकार द्वारा समूह बीमा एवं जनश्री बीमा के स्थान पर पुनरीक्षित महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना माह अक्टूबर 2005 से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से प्रारंभ की गई है, जिसे अक्टूबर-07 से पुनरीक्षित किया गया है। योजनागत प्रीमियम की राशि को यथावत रखा गया है, जिसके बुनकर का अंशदान रूपये 80/- भारत सरकार का रूपये 150 तथा जीवन बीमा निगम का अंशदान रूपये 100/- है, इस प्रकार कुल वार्षिक प्रीमियम 330/- निर्धारित है। योजना में एक वर्ष के लिए बुनकरों का बीमा किया जाता है। बीमित बुनकरों को देय हितलाभ इस प्रकार हैं :-

1	सामान्य मृत्यु पर	राशि रू. 60,000/-
2	दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर	राशि रू. 1,50,000/-
3	पूर्ण रूप से अपंगता होने पर	राशि रू. 1,50,000/-
4	आंशिक अपंगता होने पर	राशि रू. 75,000/-

यह हितलाभ दिनांक 1-10-07 से प्रभावशील हैं। योजना में बीमित बुनकरों के बच्चों को छात्रवृत्ति शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत शिष्य वृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। जिसके अनुसार बुनकर के दो बच्चों को नवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले या बारहवीं कक्षा पूर्ण करने तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रति छात्र को 300/- रूपये प्रति तिमाही की दर से शिष्य वृत्ति दी जायेगी। शिष्य वृत्ति शैक्षणिक वर्ष जून से मई तक के लिये दी जायेगी। इस हेतु प्रथक से बजट प्रावधान नहीं कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि जीवन बीमा निगम को सीधे उपलब्ध कराई जाती है।

2— Integrated Handloom Development Scheme (मुख्यालय स्तर से संचालित)

भारत सरकार द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हाथकरघा क्लस्टरों के समग्र विकास हेतु Integrated Handloom Development Scheme योजना माह दिसम्बर 2007 से प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार मदों को शामिल कर वित्त पोषित किये जाने का प्रावधान किया गया है :-

Sr.No.	Components of the IHDS	Sub-components of the IHDS eligible for financial assistance
A	Clusters having handlooms in the range of 300-500 per cluster	i) Baseline survey, diagnostic study & formation of Self Help Groups (SHGs) ii) Formation of Consortium Corpus fund for setting up of Yarn Depots iii) Design Development & Product iv) Diversification v) Common Facility Centre/Dye House vi) Publicity & Marketing vii) Project Management Cost viii) Basic Inputs ix) Skill Up-gradation x) Construction of Workshed
B	Group Approach to be implemented in the project mode outside the cluster in contiguous geographical areas	Basic inputs Construction of Workshed Skill Up-gradation
C	Assistance for Handloom Organisations	1. Marketing Incentive 2. Strengthening of Handloom Organisations
D	Others	1. Innovative ideas 2. Publicity, Monitoring, Supervision, Training & Evaluation of the Scheme

केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं

1- 10 प्रतिशत विशेष अवहार योजना

भारत शासन द्वारा वर्ष 2006-07 से तीन वर्षों के लिये 10 प्रतिशत विशेष अवहार योजना लागू की गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा त्यौहारों के लिये घोषित तिथि/अवधि में आयोजित होने वाले मेले प्रदर्शनियों के दौरान हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट हाथकरघा एजेन्सियों/समितियों द्वारा प्रदान करने पर उसकी प्रतिपूर्ति भारत शासन द्वारा की जावेगी ।

2- हाथकरघा आरक्षण अधिनियम

हाथकरघा बुनकरों को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 लागू किया गया है । इसके तहत 11 किस्मों को हाथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। सुचारू क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना अंतर्गत सहायता प्रदान करना ।

मेन्चुअल

विभागीय मेल्चुअल पृथक से बनाया गया है।

परिपत्र

परिपत्रों का समावेश विभागीय मेल्चुअल में किया गया है।

बिन्दु क्रमांक-6
संचालनालय में संधारित विभिन्न दस्तावेजों की विवरणिका यू/एस 4.1 (बी) (vi)

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज का स्वरूप	दस्तावेज की अवधि
1-	प्रशासकीय प्रतिवेदन	पुस्तक	विभागीय गतिवधियों	वार्षिक
2-	पंचवर्षीय योजना	पुस्तक	विभागीय योजना	5 वर्ष
3-	वार्षिक योजना	पुस्तक	विभागीय योजना	वार्षिक
4-	विभिन्न योजना संबंधी	नस्तियों एवं पंजी	विभागीय योजनाएँ	10 वर्ष

बिन्दु क्रमांक 7. I
परामर्शदात्री समितियों का ढाँचा जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल हो

विभागीय परामर्शदात्री समिति शासन स्तर पर गठित है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित है। संचालनालय स्तर पर कर्मचारी कल्याण के हितों से संबंधित परामर्शदात्री समिति है इसमें कोई जनप्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक 8 I

मण्डल, परिषद, समिति इत्यादि
(सदस्यों के नाम उनकी शैक्षणिक योग्यता सहित) यू/एस 4.1 (बी) (viii)

संचालनालय से संबंधित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक 9
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
(कोषालय के डाटा बैंक से संबंधित यू/एस 4.1 (बी) (ix))

क्र०	नाम	पद	पता फोन/मोबाइल नंबर
1	श्रीमती दीपाली रस्तोगी	संचालक हाथकरघा एवं हस्तशिल्प	30-उपान्त कालोनी, चार इमली भोपाल।
2	श्री ए. के. भटनागर	संयुक्त संचालक हाथकरघा	एफ 8/7 चार इमली, भोपाल फो./मो.-9425016817
3	श्री एस.एस.सिकरवार	उप संचालक तकनीकी	एफ 118/5 शिवाजी नगर फो./मो.-9425020532
4	श्री पी. शर्मा	उप संचालक	एफ-90/62 तुलसी नगर भोपाल 9424429008
5	श्री रमाकांत गुप्ता	उप संचालक तकनीकी	एफ-108/52 शिवाजी नगर भोपाल फो./मो.-2553452
6	श्री सुधीर व्यास	रिसर्च आफिसर	एफ-119/40 शिवाजी नगर भोपाल फो./मो.-2553452
7	श्री संजय श्रीवास्तव	सहायक संचालक	
8	श्रीमती आभा शुक्ला	सहायक संचालक हाथकरघा	डी-11 नेहरू नगर, भोपाल फोन-98933544535
9	श्री प्रदीप मिश्र	प्रभारी सहायक संचालक	जी 99/7 तुलसी नगर, भोपाल फो./मो.-9425025418
10	श्री हरीश मिश्रा	वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा	जी-87/104 तुलसी नगर, भोपाल
11	श्री छोटेलाल कोरी	वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा	जुमेराती मो.न. 9981342817
12	श्री अब्दुल जमील खान	वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा	321 शक्ति नगर भोपाल फो./मो.- 982707681/2587127
13	श्री विलास मोहरीर	वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी	टी.-96/24 तुलसी नगर, भोपाल फो./मो.-2551180
14	श्री उमेश श्रीवास्तव	वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी	एल-91 रत्नागिरी रायसेन रोड, भोपाल फो./मो.-9425303445
15	श्री राज कुमार सर्राफ	वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी	266-रचना नगर, भोपाल
16	श्री सी.एस रनपुरिया	वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी	63 गोविंद गार्डन भोपाल फो./मो.-9826789027
17	श्री पी.पी. जैन	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी	जी-38/3 साउथ टी.टी. नगर भोपाल
18	श्री डी. आर. पाल	सहायक अधीक्षक	मकान नंबर 147 शिवनगर कालोनी आनंद बिहार स्कूल के पास टी.टी. नगर भोपाल
19	श्री संजय उजवणे	वरिष्ठ निज सहायक	जी-96/37 तुलसी नगर भोपाल फो./मो.-9425021699
20	श्री सुनील पगारें	निज सहायक	सी/137, शाहपुरा, भोपाल फो./मो.-9827782042
21	श्री अशोक परदेशी	निज सहायक	जी-79/21, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल फो./मो.-2778583

क्र०	नाम	पद	पता फोन/मोबाइल नंबर
22	श्री श्रीपाद सप्रे	शीघ्रलेखक	जी-88/80 तुलसी नगर भोपाल फो./मो.-9424486112
23	श्री सतीस रघुवंशी	सहायक निरीक्षक हाथकरघा	डी-1/181 दानिश नगर भोपाल 9826898764
24	श्री बी.के.मिश्रा	शासकीय प्रबंधक	ई/56 न्यू सुभाष नगर
25	श्री रमेश पटवा	सहायक ग्रेड-एक	ई-56 न्यू सुभाष नगर, भोपाल
26	श्री आर.सी. शंखवार	सहायक ग्रेड-एक	239-शिवनगर कालोनी आनंद विहार स्कूल के सामने भोपाल फो./मो.-9993132855
27	श्रीमती सरोज जैन	लेखापाल	ब्लाक न 9 सुनहरी बाग जबाहर चौक, भोपाल
28	श्रीमती इंद्राणी रायकवार	लेखापाल	मिनाल बंगला 65-ए103-विजय नगर, लालघाटी भोपाल फो./मो.- 2665560
29	श्री दीपक धानुक	लेखापाल	एलआईजी-2/144 लहारपुर भोपाल
30	श्री जितेन्द्र शर्मा	लेखापाल	जी-96/22 तुलसी नगर, भोपाल फो./मो.-2550915
31	श्रीमती अनिता पाण्डे	लेखापाल	एस 588, नेहरू नगर भोपाल फो./मो.-9977718688
32	श्रीमती फरजाना लतीफ	सहायक ग्रेड-दो	90, सादिक मंजिल चौकी इमाम बाड़ा भोपाल
33	श्रीमती ए.सक्सेना	सहायक ग्रेड-दो	677-एन-2-ए.आर. गोविंदपुरा भेल भोपाल
34	श्रीमती निर्मला सुमन	सहायक ग्रेड-दो	1/2 पटेल नगर कालोनी, मनोहर डेरी के पीछे, भोपाल
35	श्री मोहन सिंह ठाकुर	सहायक ग्रेड-दो	98/87 तुलसी नगर भोपाल
36	श्रीमती आन्सी वर्गीस	सहायक ग्रेड-दो	एलआईजी-93 ओल्ड सुभाष नगर, गोविंदपुरा भोपाल-23
37	श्री अनिल कुमार बाथम	सहायक ग्रेड-दो	48-बुधवारा, भगवान सहाय केराघाट भोपाल
38	श्रीमती माया धमनिया	सहायक ग्रेड-दो	57/8 साउथ टी.टी.नगर, भोपाल
39	श्री लता गौतम	स्टेनोटायपिस्ट	115 निरजा नगर, जे के रोड, भोपाल फो./मो.-2686730
40	श्रीमती इरफाना बेगम	सहायक ग्रेड-तीन	21 जिन्सी तिजारा लाइन, जांहगीराबाद, भोपाल फोन 2759832
41	श्री राजेश साल्वे	सहायक ग्रेड-तीन	58-डा. अम्बेडकर नगर, टी.टी.नगर भोपाल
42	श्रीमती कमला पालेकर	सहायक ग्रेड-तीन	जे-127 हर्षवर्धन नगर, भोपाल

क्र०	नाम	पद	पता फोन/मोबाइल नंबर
43	श्रीमती मुक्ता खोंगल	सहायक ग्रेड-तीन	एच 95/73 तुलसी नगर भोपाल फो./मो.-2761714
44	श्री देवेन्द्र रघुवंशी	सहायक ग्रेड-तीन	ए-92/14 तुलसी नगर भोपाल
45	श्री राम कुमार वर्मा	सहायक ग्रेड-तीन	25-सत्यज्ञान कालोनी छोला मंदिर के पास भोपाल
46	श्रीमती उषा सोनवने	सहायक ग्रेड-तीन	228 क्वार्टर, जी 1/7 साउथ टी.टी. नगर भोपाल
47	श्री राजेश मिश्रा	सहायक ग्रेड-तीन	ई डब्ल्यू एस-56 बाणगंगा नार्थ टी.टी.नगर भोपाल
48	श्री योगेश देशभ्रातार	सहायक ग्रेड-तीन	एल-20शंकर नगर 6 नंबर बस स्टाप शिवाजी नगर भोपाल
49	श्री राजवीर सिंह तोमर	सहायक ग्रेड-तीन	271-शिवनगर कालोनी, 74 बंगला टी.टी. नगर भोपाल
50	श्री राधेश्याम राठौर	सहायक ग्रेड-तीन	512-आनंद नगर, भोपाल
51	श्री जीत बहादुर गौतम	सहायक ग्रेड-तीन	आई 99ए/85 तुलसी नगर भोपाल। फो./मो.-2578705
52	श्री संतोष कुमार उद्दे	सहायक ग्रेड-तीन	181-अर्जुन नगर, भोपाल।
53	श्री धमेन्द्र अवास्या	सहा ग्रेड-3	सुभाष नगर कालोनी भोपाल
54	श्री भुवनेश्वर प्रसाद द्विवेदी	वाहन चालक	जी-99/85 तुलसी नगर भोपाल
55	श्री एजाज खान	वाहन चालक	72-ऐशबाग रोड बरखेड़ी, भोपाल
56	श्री राधेश्याम शर्मा	वाहन चालक	23/2 बी सेक्टर, साई नाथ नगर, कोलार रोड भोपाल
57	श्री सुखरलाल भारती	भृत्य	प्रगति नगर अशोका गार्डन भोपाल
58	श्री रमेश मैना	भृत्य	नया बसेरा कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल
59	जुगल किशोर	भृत्य	105/92 शिवाजी नगर भोपाल फो./मो.-2757611
60	श्रीमती लीला रायकवार	भृत्य	मकान न. 17 गली न. 2 बुधवारा भोपाल
61	श्रीमती गीता बाई वर्मा	भृत्य	24/13 नार्थ टी.टी.नगर भोपाल
62	मनीष पाल	भृत्य	आई 98/107 तुलसी नगर भोपाल फो./मो.-2550819
63	श्री अरविंद	भृत्य	शाहजहानाबाद,मिलेट्री गेट केपास जमालपुरा प्लाट नंबर 46 भोपाल

क्र०	नाम	पद	पता फोन/मोबाइल नंबर
64	श्रीमती रामकली बाई	भृत्य	नीतू अस्पताल के पीछे, कोलार रोड भोपाल
65	श्री योगेश सुरवैया	भृत्य	98-ए/63 तुलसी नगर भोपाल
66	देवीदास रायकवार	भृत्य	84 दुर्गा मंदिर शाहपुर भोपाल
67	श्री सुंदर लाल चोपड़ा	भृत्य	98-ए/104 तुलसी नगर भोपाल
68	शेख रिजबान	भृत्य	मकान न. 88-गली न. एक सुदामा नगर गोबिन्दपुरा भोपाल
69	श्रीमती कमला बाई मेहर	भृत्य	106 टीला जमालपुरा भोपाल
70	श्री हीरालाल	वाटरमेन	84 दुर्गा मंदिर सेन्ट्रल बैंक, शाहपुरा भोपाल
71	अजय तरोणे	फर्राश	आई 123/57 शिवाजी नगर भोपाल
72	श्री अशोक पवार	भृत्य	बरखेडी ऐश बाग मकान नंबर 16 भोपाल

बिन्दु कमांक 10
मासिक भुगतान एवं अनुग्रह कोषालय के डाटा बैंक से संबंध
यू/एस 4.1 (बी) (X)

कमांक	नाम अधिकारी/कर्मचारी	मूल वेतन (रूपयो में)	मंहगाई भत्ता एवं अन्य (रूपयो में)
1	श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आई.ए.एस.	---	(हस्तशिल्प विकास निगम से आहरित)
2	श्री ए. के. भटनागर	38800	4656
3	श्री एस.एस.सिकरवार	35350	4242
4	श्री पी. शर्मा	34670	4160
5	श्री रमाकांत गुप्ता	25200	3274
6	श्री सुधीर व्यास	19387	13169
7	श्री सजंय श्रीवास्तव	32590	4931
8	श्रीमती आभा शुक्ला	26090	4991
9	श्री प्रदीप मिश्र	20060	2457
10	श्री हरीश मिश्रा	17140	2663
11	श्री विलास मोहरीर	17450	2144
12	श्री उमेश श्रीवास्तव	17760	2761
13	श्री राज कुमार सर्राफ	17760	2761
14	श्री छोटेलाल कोरी	15010	2333
15	श्री अब्दुल ज़मील खान	14860	2301
16	श्री सी.एस रनपुरियां	17140	2663
17	श्री पी.पी.जैन	22640	2767
18	श्री संजय उजवणे	22710	2725
19	श्री सुनील पगारें	22340	3459
20	श्री अशोक परदेशी	19050	2336
21	श्री श्रीपाद सप्रे	17240	2119
22	श्री सतीस रघुवंशी	13100	2054
23	श्री बी के मिश्रा	10140	1621
24	श्री डी. आर. पाल	17090	2669
25	श्री रमेश पटवा	15800	2496
26	श्री आर.सी. शंखवार	14380	2236
27	श्रीमती सरोज जैन	14230	2238
28	श्रीमती इंद्राणी रायकवार	13220	1636
29	श्री दीपक धानुक	13400	2106
30	श्री जितेन्द्र शर्मा	13000	1660
31	श्रीमती अनिता पाण्डे	12570	1974
32	श्रीमती फरजाना लतीफ	13000	2050
33	श्रीमती ए.सक्सेना	13530	2104
34	श्रीमती निर्मला सुमन	12600	1978
35	श्री मोहन सिंह ठाकुर	12600	1562
36	श्रीमती आन्सी वर्गीस	12910	2031
37	श्री अनिल कुमार बाथम	11980	2420
38	श्रीमती माया धमनिया	11790	1465
39	श्री लता गौतम	10750	1684

क्रमांक	नाम अधिकारी/कर्मचारी	मूल वेतन (रूपयो में)	मंहगाई भत्ता एवं अन्य (रूपयो में)
40	श्रीमती मुक्ता खोंगल	7580	960
41	श्रीमती इरफाना बेगम	7580	1204
42	श्री राजेश साल्वे	7580	1204
43	श्रीमती कमला पालेकर	7580	1204
44	श्री देवेन्द्र रघुवंशी	7580	960
45	श्री राम कुमार वर्मा	7580	1204
46	श्रीमती उषा सोनवने	7580	960
47	श्री राजेश मिश्रा	7580	1204
48	श्री योगेश देशभ्रातार	7580	1204
49	श्री राजवीर सिंह तोमर	10240	1589
50	श्री राधेश्याम राठौर	10090	1571
51	श्री जीत बहादुर गौतम	8600	1082
52	श्री संतोष कुमार उद्दे	7100	902
53	श्री धमेन्द्र अवास्या	7100	902
54	श्री भुवनेश्वर प्रसाद द्विवेदी	13540	1675
55	श्री एजाज खान	12570	1598
56	श्री राधेश्याम शर्मा	9670	1210
57	श्री सुखरलाल भारती	6100	1045
58	श्री रमेश मैना	6700	1136
59	श्री जुगल किशोर	8080	1070
60	श्रीमती लीला रायकवार	7940	1053
61	श्रीमती गीता बाई वर्मा	6050	826
62	श्री मनीष पाल	6050	826
63	श्री अरविंद	6050	1030
64	श्रीमती रामकली बाई	8610	1133
65	श्री योगेश सुरवैया	6050	826
66	देवीदास रायकवार	6050	1030
67	श्री सुंदर लाल चोपड़ा	6050	826
68	श्री शेख रिजवान	6050	1030
69	श्रीमती कमला बाई मेहर	8350	1385
70	श्री हीरालाल	7950	1054
71	श्री अजय तरोणे	7810	1037
72	श्री अशोक पवार	6100	1045

बिन्दु क्रमांक 11
वार्षिक बजट आवंटन एवं व्यय पत्रक कोषालय के डाटा बैंक से
संबद्ध यू/एस 4.1 (बी) (xi)
वर्ष 2008-09 में आवंटित बजट एवं व्यय (दिनांक 31.5.09 तक)

योजना का नाम	आवंटन वर्ष 2009-10			व्यय 31.5.09 तक			शेष बजट		
	2	3	4	राज्य	केन्द्र	योग	राज्य	केन्द्र	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मांग संख्या-56									
अतिरिक्त अमला	60.00	0.00	60.00	7.23	0.00	7.23	52.77	0.00	52.77
एकीकृत कलस्टर	99.17	0.00	99.17	12.34	0.00	12.34	86.86	0.00	86.83
प्रमोशन एवं अभिलेखिकरण	1.10	0.00	1.00	0.27	0.00	0.27	0.73	0.00	0.73
स्पेशल प्रोजेक्ट स्कीम	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
आरक्षण अधिनियम	0.00	15.22	15.22	0.00	1.02	1.02	0.00	14.20	14.20
ग्रामोद्योग का विकास	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
एकीकृत हा. विकास योजना	100.00	180.00	280.00	0.00	10.32	10.32	100.00	1169.68	269.68
आई.आई.यु.एस. परियोजना.चन्देरी	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
योग मांग संख्या-56	516.17	195.22	711.39	19.84	11.34	31.18	496.33	183.88	680.21
मांग संख्या 41									
एकीकृत क्लस्टर	49.00	0.00	49.30	5.00	0.00	5.00	44.30	0.00	44.30
योग :- मांग संख्या 41	49.00	0.00	49.30	5.00	0.00	5.00	44.30	0.00	44.30
मांग संख्या 64									
एकीकृत क्लस्टर	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.53
योग:- मांग संख्या 64	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.53
मांग संख्या 80									
कुटीर उद्योग विकास	151.11	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00
हाथकरघा विकास योजना	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	36.75	0.00	36.75
वेलफेयर पैकेज योजना	14.98	0.00	14.98	0.11	0.00	0.11	14.87	0.00	14.87
योग मांग संख्या 80	202.84	0.00	202.84	0.11	0.00	0.11	202.73	0.00	202.73
मांग संख्या-15									
कुटीर उद्योग विकास	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	53.43	0.00	53.43
हाथकरघा विकास योजना	7.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	7.21	0.00	7.21
वेलफेयर पैकेज योजना	1.58	0.00	1.58	0.18	0.00	0.18	1.40	0.00	1.40
योग- मांग संख्या 15	62.22	0.00	62.22	0.18	0.00	0.18	62.04	0.00	62.04

योजना का नाम	आंबटन वर्ष 2009-10			व्यय 31.5.09 तक			शेष बजट		
				राज्य	केन्द्र	योग	राज्य	केन्द्र	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मांग संख्या-52									
कुटीर उद्योग विकास	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00	22.61	0.00	22.61
हाथकरघा विकास योजना	4.70	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70
वेलफेयर पैकेज योजना	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	28.47	0.00	28.47
योग- मांग संख्या 52	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00	28.47	0.00	28.47
मांग संख्या-80									
केन्द्रीय कार्यालय	132.22	0.00	132.22	19.91	0.00	19.91	112.31	0.00	112.31
पर्यवेक्षक कर्मचारी	473.86	0.00	473.86	50.12	0.00	50.12	423.74	0.00	423.74
कपास योजना	54.43	0.00	54.43	7.09	0.00	7.09	47.34	0.00	47.34
ग्रामोद्योग कार्यालय स्थापना	106.33	0.00	106.33	4.23	0.00	4.23	102.10	0.00	102.10
मांग संख्या-80	766.84	0.00	766.84	81.35	0.00	81.35	685.49	0.00	685.49
योग-आयोजनेत्तर									

बिन्दु क्रमांक 12

बिन्दु क्र. 12- कार्यक्रम एवं हितग्राही यू/एस 41 (बी) (xii)

- अ- योजना की सूची :- बिन्दु क्र0 5 की जानकारी दी गई है।
 ब- हितग्राहियों को चयन करने हेतु मापदण्ड बिन्दु क्र. 5 में वर्णित योजनाओं में पात्रता अनुसार।
 स- विस्तृत जानकारी वर्ष 2009-010 (माह जून 2009 तक)

क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय विभाग	वर्ष	आवंटित राशि (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
	हाथकरघा	हाथकरघा				
1	प्रमोशन अभिलेखीकरण	संचालनालय	09-10	0.33	0.27	1 क्लस्टर,
2	स्पेशल प्रोजेक्ट		09-10	0.33	-	-
3	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम		09-10	50.33	22.32	1 निगम, 1 समिति 9 क्लस्टर
4	दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना		09-10	-	-	-
5	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना		09-10	93.33	10.32	1 निगम,
6	ग्रामोद्योग विकास सहायता		09-10	1.67	-	
7	इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम (आई.आई. यू.एस.चन्देरी परियोजना)		09-10	-	-	चन्देरी परियोजना (संमूर्ण चंदेरी शहर)
			योग:-	145.99	32.91	

**एकीकृत हाथकरघा विकास योजनान्तर्गत
भारत शासन से स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी**

क	संस्था/एजेन्सी	स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि	स्वीकृत केन्द्रांश प्रथम किश्त	विमुक्त की गई राशि वर्ष 07-08 एवं 08-09 सहित		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग
द्वितीय चरण						
1	सौंसर	52.80	15.30	15.30	1.41	16.71
2	सारंगपुर (CRISP BPL)	52.47	14.84	14.84	1.785	16.625
3	C.D.C. महेश्वर	43.90	13.07	13.07	2.17	15.24
तृतीय चरण						
4	वारासिवनी	49.55	14.685	14.685	2.045	16.73
5	कसरावद महेश्वर	46.75	13.125	13.125	1.725	14.850
6	महेश्वर (ग्रामीण)	40.25	12.075	12.075	1.825	13.90
7	पथरोही सीधी	40.20	12.00	12.00	1.845	13.845
8	अठाना नीमच	35.45	10.625	10.625	1.225	11.850
9	आष्टा सीहोर	39.52	11.625	11.625	2.175	13.80
10	खिलची पुरा मंदसौर (W.S.C. इन्दौर)	47.90	14.25	14.25	1.82	16.07
11	लोधीखेड़ा मोहगाव छिन्दवाडा	43.75	13.125	13.125	1.435	14.56
12	बुनकर सेवा केन्द्र इन्दौर को ग्रुप एप्रोच मद अंतर्गत सहायता द्वितीय किश्त	19.98	3.135	3.135	—	3.135
योग :-		492.53	144.72	133.095	19.46	152.555

- भारत सरकार से विमुक्त प्रथम किश्त की केन्द्रांश राशि रूपये 14.25 लाख बुनकर सेवा केन्द्र इन्दौर को सीधे प्राप्त हुई है।
- विकास आयुक्त हाथकरघा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा एकीकृत हाथकरघा विकास योजना के ग्रुप एप्रोच मद के अंतर्गत राशि रूपये 19.98 लाख की स्वीकृति बुनकर सेवा केन्द्र इन्दौर के पक्ष में जारी की गई थी जिसमें से राशि रूपये 16,84,950 प्रथम किश्त सीधे बुनकर सेवा केन्द्र इन्दौर को प्रदान की गई थी। द्वितीय किश्त राशि रूपये 3,13,500/- राज्य शासन को प्रदान की गई थी जो बुनकर सेवा केन्द्र इन्दौर को विमुक्त की गई है। इस मद के अंतर्गत बुनकर सेवा केन्द्र इन्दौर द्वारा

प्रदेश के शाजापुर, सागर, उज्जैन, सीहोर, एवं इन्दौर में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण संचालित किया गया था जिसकी जिलेवार प्रगति इस प्रकार है।

क्रमांक	क्लस्टर का नाम	कौशल उन्नयन				मार्जिन मनी			जेकार्ड / डांबी	सहायक उपकरण	नवीन करघे
		रंगाई	बुनाई	डिजाईन	योग	हितग्राही	स्वीकृत राशि	स्वीकृत साख सीमा			
1	शाजापुर	20	20	—	40	—	—	—	—	—	10
2	सागर	—	20	—	20	—	—	—	—	—	10
3	उज्जैन	20	40	—	60	—	—	—	—	—	20
4	इन्दौर	—	20	—	20	—	—	—	—	—	10
5	सीहोर	—	20	—	20	—	—	—	—	—	10
	योग	40	120	—	100	—	—	—	—	—	60

बिन्दु क्रमांक 13

प्राप्तकर्ता की सूची एवं दी गयी छूट का स्वरूप यू/एस 4.1 (बी) (xiii)

संचालनालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को छूट (कंसेशन) दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

बिन्दु क्रमांक 14 कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएँ

क्र.	केटेगरी (वर्ग)	हार्डकापी	इलेक्ट्रानिक फार्म स.
1	प्रशासकीय प्रतिवेदन	हार्डकापी	—
2	पंचवर्षीय योजना	हार्डकापी	—
3	वार्षिक योजना	हार्डकापी	—
4	विभिन्न योजना संबंधी	हार्डकापी	—

बिन्दु क्रमांक 15
उपलब्ध सुविधाएँ

क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	खुलने का समय	संपर्क हेतु दूरभाष
1	लाइब्रेरी	श्री बी.एस तोमर श्री अनिल बाथम	प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक	2553452

बिन्दु क्रमांक 16:

लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी पदनाम संबंध में जानकारी

क्र.	पद	नाम	पदनाम	दूरभाष
1-	लोक सूचना अधिकारी	श्री ए. के. भटनागर	संयुक्त संचालक हाथकरघा	2553498
2-	सहायक सूचना अधिकारी	श्री सुधीर व्यास	रिसर्च आफिसर	2553452

E-mail : **dh_bpl @ dataone.in**

कार्यस्थल एवं पता : कार्यालय आयुक्त/संचालक
हाथकरघा एवं हस्तशिल्प,
हाथकरघा संचालनालय मध्यप्रदेश
माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर द्वितीय तल,
शिवाजी नगर म.प्र. भोपाल-462016

सम्पर्क समय : - : प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक

बिन्दु क्रमांक 17
अन्य जानकारीयों

-----निरंक-----

हाथकरघा संचालनालय मध्यप्रदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियुक्त लोक सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों की सूची

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर	लोक सूचना अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता/ फोन नम्बर	सहायक लोकसूचना अधिकारी नाम/पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर
1	2	3	4	5
1	हाथकरघा संचालनालय माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर द्वितीय तल भोपाल	श्री अरूण कोचर , आय ए एस संचालक हाथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यालय का पता	श्री ए0के0भटनागर संयुक्त संचालक हाथकरघा कार्यालय का पता	श्री सुधीर व्यास रिसर्च आफीसर कार्यालय का पता
		हाथकरघा संचालनालय माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर द्वितीय तल भोपाल 2553934	हाथकरघा संचालनालय माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर द्वितीय तल भोपाल 2553498	हाथकरघा संचालनालय माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर द्वितीय तल भोपाल 2553452
		निवास का पता- फोन 63 आम्रपाली इन्कलेक चुनाभट्टी कोलार रोड़-भोपाल 2424110	निवास का पता- फोन चार इमली भोपाल 9425016817 / 2430949	निवास का पता- फोन शिवाजी नगर भोपाल 2550482 / 9425373924
2	जिला हाथकरघा कार्यालय शिवपुरी	श्री आर.के.मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी कार्यालय का पता	श्री आर.पी. कोरी , सहायक संचालक, हाथकरघा कार्यालय का पता	एम.एम.देशपाण्डे, निरीक्षक, तकनीकी कार्यालय का पता
		जिला पंचायत शिवपुरी 07492-234613	जिला हाथकरघा कार्यालय शिवपुरी मोबाईल-9826647576	जिला हाथकरघा कार्यालय शिवपुरी
		निवास का पता- फोन -	निवास का पता- फोन इंदिरा कालोनी फिजिकल रोड शिवपुरी	निवास का पता- फोन दरगाह के पास शिव कालोनी, शिवपुरी
3	जिला हाथकरघा निवाड़ी जिला टीकमगढ़	श्री आर. के. निरंजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय टीकमगढ़ कार्यालय का पता	श्री के आर शाक्यवार सहायक संचालक हाथकरघा निवाड़ी कार्यालय का पता	श्री सत्याराम गौतम निरीक्षक तकनीकी कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय टीकमगढ़, फोन नं. 07683-242296	जिला हाथकरघा कार्यालय निवाड़ी जिला टीकमगढ़, शासकीय कन्या हाईस्कूल के पास निवाड़ी मोबाईल-9926247911	जिला हाथकरघा कार्यालय निवाड़ी, जिला टीकमगढ़
		निवास का पता- फोन -	निवास का पता- फोन श्री विष्णुदयाल पाठक का मकान मातनकापुरा, निवाड़ी	निवास का पता- फोन श्री प्रभुदयाल सोनी का मकान नई बस्ती निवाड़ी

क्र०	कार्यालय का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर	लोक सूचना अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता/ फोन नम्बर	सहायक लोकसूचना अधिकारी नाम/पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर
1	2	3	4	5
4	जिला हाथकरघा कार्यालय ग्वालियर	श्री विनोद शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय का पता जिला पंचायत कार्यालय हाटीपुर मुरार ग्वालियर-474011 फोन नं.-0751-2446250 निवास का पता- फोन 31 रोडकोर्स रोड ग्वालियर 0751-2446251	श्री एन० पी० माहौर उप संचालक हाथकरघा कार्यालय का पता जिला हाथकरघा कार्यालय जीवाजी चौक लश्कर ग्वालियर 474011 फोन नं.-0751-2429640 निवास का पता- फोन शुभम काम्पलेक्स के पीछे नौगंजा रोड खलासीपुरा शिन्दे की छावनी लश्कर ग्वालियर	श्री जी.पी.आनंद वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी कार्यालय का पता जिला हाथकरघा कार्यालय जीवाजी चौक लश्कर ग्वालियर 474011 फोन नं.-0751-2429640 निवास का पता- फोन 16, आनंद नगर ठारीपुर मुरार ग्वालियर - 474011 मोबाइल नं. 9425187193
5	जिला हाथकरघा कार्यालय जबलपुर	श्री महेश चौधरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय जबलपुर कार्यालय का पता जिला पंचायत कार्यालय जबलपुर 0761-2624860 निवास का पता- फोन सिविल लाईन जबलपुर	श्री एम०के०बांगड़े उप संचालक हाथकरघा जिला कार्यालय जबलपुर कार्यालय का पता जिला पंचायत कार्यालय जबलपुर 0761-2624860 निवास का पता- फोन	श्री ए.के.दीक्षित वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा जिला कार्यालय जबलपुर कार्यालय का पता जिला पंचायत कार्यालय जबलपुर 0761-2624860 निवास का पता- फोन जबलपुर - 0761-6536083
6	जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चंदेरी जिला अशोक नगर	श्री अनिल सुचारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर 07543-220030 कार्यालय का पता जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर निवास का पता- फोन	श्री संजय श्रीवास्तव सहायक संचालक हाथकरघा चंदेरी कार्यालय का पता जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चंदेरी-अशोकनगर 07547-243146 मोवाइल नं. -9425385325 निवास का पता- फोन टेक्सटाइल भवन चंदेरी 07547-243146 मोवाइल नं.-9425385325	श्री एस.के.शाक्यवार वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी जिला कार्यालय हाथकरघा चंदेरी कार्यालय का पता जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चंदेरी-अशोकनगर 07547-243146 मोवाइल नं.- 9425381031 निवास का पता- फोन टेक्सटाइल भवन चंदेरी 07547-243146 मोवाइल नं.- 9425381031

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर	लोक सूचना अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता/ फोन नम्बर	सहायक लोकसूचना अधिकारी नाम/पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर
1	2	3	4	5
7	जिला हाथकरघा कार्यालय सतना	श्री विवेक पोरवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय का पता	श्री के.के.गुप्ता सहायक संचालक तकनीकी कार्यालय का पता	श्री आर.डी.द्विवेदी सहायक निरीक्षक तकनीकी कार्यालय का पता
		जिला पंचायत सतना सिविल लाइन 07672-225449	जिला पंचायत कार्यालय सतना 07672-224045	जिला पंचायत कार्यालय सतना 07672-224045
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन
		-	-	-
8	जिला हाथकरघा कार्यालय वारासिवनी	श्री आर.के.त्रिपाठी मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय का पता	श्री एस.पी.तिवारी सहायक संचालक हाथकरघा कार्यालय का पता	श्री आर.के.हेडाऊ वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय बालाघाट	जिला हाथकरघा कार्यालय वारासिवनी जैन मोहल्ला वारासिवनी	जिला हाथकरघा कार्यालय वारासिवनी जैन मोहल्ला वारासिवनी
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन
		-	सेन्ट्रल बैंक शाखा के पास वारासिवनी मोवाइल नं.- 9425139261	रेल्वे स्टेशन के सामने वारासिवनी मोवाइल नं. - 9907403582
9	जिला हाथकरघा कार्यालय सीहोर	श्री अरुण सिंह तोमर मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय का पता	श्री शब्बीर हुसैन अंसारी सहायक संचालक तकनीकी कार्यालय का पता	श्री अजेय पवार वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय सीहोर	जिला हाथकरघा कार्यालय सीहोर	जिला हाथकरघा कार्यालय सीहोर
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन
		-	-	नेहरू कालोनी सीहोर मोवाइल नं. - 9827011916
10	जिला हाथकरघा कार्यालय सारंगपुर जिला-राजगढ़	श्री बी एल कंसट मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय का पता	श्री शारिक हुसैन अंसारी सहायक संचालक तकनीकी कार्यालय का पता	श्री के.सी.कासलीवाल वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय राजगढ़	जिला हाथकरघा कार्यालय सारंगपुर जिला राजगढ़	जिला हाथकरघा कार्यालय सारंगपुर जिला राजगढ़
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन
		-	आदर्श नगर सारंगपुर 222246	

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर	लोक सूचना अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता/ फोन नम्बर	सहायक लोकसूचना अधिकारी नाम/पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर
1	2	3	4	5
11	जिला हाथकरघा कार्यालय भोपाल	श्री आशीष सक्सेना मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय का पता	श्री बी.एल.शर्मा सहायक संचालक तननीकी कार्यालय का पता	श्री डी एच पी त्रिपाठी वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा कार्यालय का पता
		रोड क्रमांक-3 पुराना सचिवालय भोपाल	जिला हाथकरघा कार्यालय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की दुकान के ऊपर न्यू मार्केट भोपाल	जिला हाथकरघा कार्यालय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की दुकान के ऊपर न्यू मार्केट भोपाल
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन
		ई-115/4 शिवाजी नगर भोपाल 2540964		
12	जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर	श्री आशुतोष अवस्थी मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय का पता	श्री गार सिंह आर्य उप संचालक हाथकरघा कार्यालय का पता	श्री विनायक सिंह मार्को वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय इंदौर	जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर इण्डस्ट्रियल एरिया पोलोग्राउन्ड इंदौर -2421375	जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर इण्डस्ट्रियल एरिया पोलोग्राउन्ड इंदौर -2421375
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन
		-	9826737923	522-एस नंदन धार गेट रोड इंदौर फोन नं.-9300964737
13	जिला हाथकरघा कार्यालय झाबुआ	श्री अशोक चौहान मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय का पता	श्री तेजसिंह रावत सहायक संचालक हाथकरघा कार्यालय का पता	श्री आर.एस.बघेल वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय झाबुआ	जिला पंचायत कार्यालय झाबुआ	जिला पंचायत कार्यालय झाबुआ
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन
		पोलिटिकल कालेज झाबुआ		राधाकृष्ण मार्ग झाबुआ
14	जिला हाथकरघा कार्यालय मंदसौर	श्री नारायण पाटीदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय का पता	श्री आर.व्ही.गुप्ता सहायक संचालक, हाथकरघा कार्यालय का पता	श्री सलामुद्दीन अंसारी वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय मंदसौर	जिला हाथकरघा कार्यालय मंदसौर	जिला हाथकरघा कार्यालय मंदसौर
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन
			मोबाइल नं. 9826524062	

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर	लोक सूचना अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता/ फोन नम्बर	सहायक लोकसूचना अधिकारी नाम/पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर
1	2	3	4	5
15	जिला हाथकरघा कार्यालय सौसर	श्री आर एस शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी	श्री प्रदीप पाटनी सहायक संचालक हाथकरघा	श्री आर.पी.निमजे वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी
		कार्यालय का पता	कार्यालय का पता	कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय छिन्दवाड़ा 07165-244369	जिला हाथकरघा कार्यालय सिविल लाईन सौसर जिला छिन्दवाड़ा 07165-220981	जिला हाथकरघा कार्यालय सिविल लाईन सौसर जिला छिन्दवाड़ा 07165-220981
		निवास का पता- फोन ई-1 सिविल लाईन छिन्दवाड़ा 07162-242477	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन वार्ड नं.-13 सौसर जिला छिन्दवाड़ा
16	जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र महेश्वर	श्री आलोक सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी	श्री टी.एम.अंसारी सहायक संचालक तकनीकी	श्री राजेश गंगराडे वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा
		कार्यालय का पता	कार्यालय का पता	कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय नवग्रह मंदिर के सामने खरगौन 07282-232880	जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र धामनोद रोड-महेश्वर 0783-273467	जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र धामनोद रोड-महेश्वर 0783-273467
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन
		कलेक्टर कार्यालय परिसर सनावद रोड टाउन हाल के पास खरगौन 0783-232281	जिला हाथकरघा कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र धामनोद रोड-महेश्वर 0783-273467	खेडापति मार्ग कालीपुरा महेश्वर खरगौर
17	जिला हाथकरघा कार्यालय बुरहानपुर	श्री आर के खरे मुख्य कार्यपालन अधिकारी	श्री सेजमल कछवाय सहायक संचालक हाथकरघा	श्री कमलेश नागराज वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी
		कार्यालय का पता	कार्यालय का पता	कार्यालय का पता
		जिला पंचायत कार्यालय बुरहानपुर	जिला हाथकरघा कार्यालय बुरहानपुर	जिला हाथकरघा कार्यालय बुरहानपुर
		निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन	निवास का पता- फोन 2228031

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर	लोक सूचना अधिकारी का नाम/ पद/कार्यालय -निवास का पता/ फोन नम्बर	सहायक लोकसूचना अधिकारी नाम/पद/कार्यालय -निवास का पता एवं फोन नम्बर
1	2	3	4	5
18	जिला हाथकरघा कार्यालय उज्जैन	श्री केदार शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन कार्यालय का पता जिला पंचायत कोठी रोड दमदमा उज्जैन 0734-2511761 निवास का पता- फोन सिविल लाईन यूनिवर्सिटी के पीछे उज्जैन, 2516263	श्री संतोष कुमार जैन सहायक संचालक हाथकरघा कार्यालय का पता जिला पंचायत कोठी रोड दमदमा उज्जैन 0734-2511761 निवास का पता- फोन 132/1, न्यू हरी फाटक रोड, उज्जैन 9425945821	श्री अखिलेश उपाध्याय वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा कार्यालय का पता जिला पंचायत कोठी रोड दमदमा उज्जैन 0734-2511761 निवास का पता- फोन